



इण्डोनेशिया के प्रांत बाली के मुखौटों ने वर्षों से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया है। लेकिन इनके कलात्मक आकर्षण के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बाली के मुखौटों की विशिष्टता यहाँ की संस्कृति के "जीवावाद" (एनिमिज्म) पर आधारित है। एनिमिज्म या जीवावाद के अंतर्गत माना जाता है कि, सभी वस्तुओं, स्थानों व जीवों में एक विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व विद्यमान होता है तथा सभी चीजें, जानवर, पेड़-पौधे, चट्टानें, नदियाँ, मौसम, मानवीय कृतियाँ, यहाँ तक कि, शब्द भी सजीव व प्राणवान हैं। इस भावना के साथ कि, भगवान हर वस्तु में विद्यमान हैं, बाली के लोग आत्मा तथा अतीन्द्रिय (ट्रान्स-डैटल) ऊर्जाओं के रहने के लिए खूबसूरत "निवास" (मुखौटों) की रचना करते हैं। अतः ये मुखौटों एक माध्यम हैं, पूर्वजों की आत्माओं के "वास" के लिए या फिर भौतिक जगत में भ्रमण करने के लिए, क्योंकि मुखौटों, भौतिक रूप में दैवी प्राणियों या ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ मुखौटों, विशिष्ट रिवाजों, परम्पराओं और निर्देशों के आधार पर एक निर्धारित समय व प्रक्रिया से विशेष वस्तुओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद इन मुखौटों का उपयोग पवित्र रस्मों में किया जाता है। जब हिन्दू प्रभाव बाली तक पहुँचा तो दोनों धर्मों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा तथा हिन्दू धर्म एवं बाली की प्राचीन आस्था व विश्वास के साथ मिलकर एक नई संस्कृति बनी। बाली के हिन्दुओं ने अपने नृत्य, संगीत तथा मास्क जैसी वस्तुओं के माध्यम से हिन्दू पौराणिक कथाओं व शिक्षाओं का चित्रण किया। तथापि, आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए केवल मास्क का ही उपयोग नहीं होता है। मास्क, संगीत, पेशाक तथा नृत्य, इन सबसे मिलकर मंदिरों व समारोहों में भगवान के लिए परम श्रद्धा पैदा होती है। मास्क पहनकर नृत्य संगीत में भाग लेने वाले कलाकार भी इन पवित्र पारंपरिक प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, इन्हें देवताओं के प्रतिनिधि या दूत के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे धारणा यह है कि, मास्क उस दैवी ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं तथा उसकी मेजबानी करते हैं, जो नर्तक के शरीर में प्रवेश करेगी। इसलिए, मास्क पहनने से पहले कलाकारों को कुछ विशिष्ट शुद्धीकरण रस्मों से गुजरना पड़ता है।

भाजपा ने जे.पी. नड्डा को उतारा, ई.डी. द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को दिये गये नोटिस को डिफैन्ड करने के लिये

भाजपा को भय है कि, कहीं सोनिया व राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का मामला ज्यादा तूल न पकड़ ले और सरकार पर हावी न हो जाये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 जून। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मोदी सरकार द्वारा दिए गए जनाक्रोश को टालने के लिए भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने यह कहते हुए दोनों के लिए चुटकी ली कि "क्या आपने कभी किसी अपराधी को यह कहते हुए सुना है कि मैं अपराधी हूँ?"

नड्डा ने कहा कि वे वास्तव में इससे इनकार करेंगे। दस्तावेज गवाह हैं।

'नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट के अधीन है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 जून। सर्वोच्च न्यायालय ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के उस आदेश को अमान्य कर दिया, जिसमें विशाखा पट्टनम के रशिकोन्डा हिल्स क्षेत्र में निर्माण-कार्य का निषेध कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक अदालतों के आदेश सरकारी ट्रिब्यूनलों से ज्यादा प्रभावी माने जायेंगे।

■ सुप्रीम कोर्ट ने एन. जी.टी. के निर्णय को पलटते हुए, यह निर्णय सुनाया।

सुप्रीम हिमा कोहली को बैंच ने कहा कि ये उचित नहीं था कि जब उच्च न्यायालय ने इस प्रकार को निबटा दिया था तो भी एन.जी.टी. उसकी प्रक्रिया को जारी रखे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहाँ तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है। बैंच ने कहा, "एन.जी.टी. तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित परस्पर विरोधी आदेश असंगत एवं असामान्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यदि कोई चार्जशीट दायर होती है तो आप उसे निरस्त करवाने के लिए कोर्ट की शरण लेंगे, लेकिन उन्होंने, जमानत पर रिहा करने की मांग की। इसका मतलब यह है कि वे अपराधी हैं।

वास्तविकता यह है कि मोद और शाह नड्डा को यह कहना पड़ा कि वह प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के पक्ष में बोलें।

यह दर्शाता है कि सरकार इस कार्रवाई के किसी विपरीत प्रभाव को रोकने के सभी संभावित निरोधक उपाय कर रही है।

सरकारी एजेंसियों का ज़रूरत से अधिक उपयोग, खासतौर पर देश भर में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ई.डी., सी.बी.आई. और इनकम टैक्स विभाग के उपयोग से यह जन धारणा बन रही है कि ये कार्रवाईयाँ राजनीतिक हैं, ना कि आपराधिक।

कांग्रेस ने दिन की शुरुआत में कहा कि वित्तीय अपराधों की जांच करने वाले एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) ने गांधी परिवार के सदस्यों को सम्मन भेजा है।

संघीय जांच एजेंसी ने जहाँ सोनिया गांधी (75) से कहा है कि वह 8 जून को सेंट्रल देहली स्थित उसके मुख्यालय पर उपस्थित हों, वहीं राहुल गांधी को गुरुवार को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनिया गांधी सम्मन के निर्देशों का पालन करेंगी।

सिंघवी तथा कांग्रेस के अन्य नेता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी (51) ने जांच एजेंसी को लिखा है कि वह उपस्थित होने की दिनांक को स्थगित कर 5 जून

के बाद की कर दें क्योंकि वह स्वदेश में नहीं हैं।

ई.डी. की कार्रवाई नौ वर्ष पुरानी एक शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि गांधी परिवार ने एक बोगस कंपनी बनाकर करीब 300 मिलियन डॉलर की सम्पत्तियों पर कब्जा जमा लिया है।

कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के सदस्यों को भेजे गए नोटिस की भरसना करने वाले एक बयान में कहा कि "यह निन्दनीय है और देश को गुमराह करने के लिए इण्डियन नैशनल कांग्रेस के नेतृत्व के विरुद्ध एक कारगराण पड़यंत्र रचा जा रहा है।"

बयान में कहा गया कि "पूरी पार्टी और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और देश के लोकतंत्र पर हुए हमले का हम मुकाबला करेंगे व जीतेंगे।"

एशिया व अन्य से इससे कुछ समय पूर्व, जिन्होंने 5 जी सबसे पहले लागू किया) अथवा तब आ जाएगा जब अधिकांश टेलीकॉम कंपनियाँ इनकी ट्रायल्स फोन रही होंगी और जब हम देखेंगे कि फोन निर्माता 6 जी फोन्स से आगे की तकनीकी बना लेंगे।

इस विचार को नोकिया के सी.ई.ओ. पेक्का लुण्डमार्क ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यू.ई.एफ.) 2022 के दौरान प्रस्तुत किया।

पेक्का ने इससे पहले यह दावा किया था कि 6 जी मोबाइल नैटवर्क वर्ष 2030 तक उपलब्ध हो जायेंगे। उनके अनुसार यही वह समय है जब स्मार्टफोन्स का स्थान अर्थव्यवस्था से ले लेंगे। उनका मानना है कि 6 जी नैटवर्क की शुरुआत तकनीकी क्षेत्र का विस्तार करेगी और स्मार्टफोन्स को कम

प्रसंगिक बना देगी।

वर्ष 2022 में इस घटनाक्रम को सम्बद्ध करना मुश्किल है जबकि स्मार्टफोन्स हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। इन डिवाइसेज का उपयोग नाकेवल वैब ब्राउसिंग बल्कि खाने का ऑर्डर व कैम्स बुकिंग की अन्य ज़रूरतों के लिए भी किया जाता है और यहाँ तक कि बैंकिंग लेनदेन भी इनके माध्यम से करने की योजना है।

विशेषज्ञों के अनुसार 6 जी सिस्टम में डेटा स्पीड, वर्तमान नैटवर्क से 1000 गुना ज्यादा फास्ट होगी। तथा, स्मार्ट घर, शहर व गांव, केवल बात नहीं यथार्थ होंगे।

■ होम बेस्ड ए.टी.एम.; सैटेलाइट से सैटेलाइट संचार (कम्यूनिकेशन) भी संभव होगा। यानि अंतरिक्ष में संचार व संवाद सच्चाई होगी।

5 जी नैटवर्क का मुख्यधारा में आना बाकी है इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि भविष्य में 6 जी नैटवर्क क्या भूमिका निभाएगा। भारत अभी आगले वर्ष के आरंभ तक 5 जी नैटवर्क सुलभ करवाने पर काम कर रहा है। इसके लिए इस वर्ष कभी भी 5 जी स्प्रेडम की नीलामी हो सकती है।

टैलिकॉम कंपनियों ने पहले ही अपना नैटवर्क तैनात कर दिया है और

उपलब्ध डिवाइस रेंज का परीक्षण कर रहे हैं और वे इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि जनता के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने की हरी झंडी कब मिलती है। जापान व कुछ अन्य देशों ने 6 जी नैटवर्क पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने टास्कफोर्स बनाई है ताकि 2030 तक 6 जी नैटवर्क उपलब्ध हो जाए। इसी अवधि का अनुमान पेक्का का है।

आशा है कि 6 जी को ज्यादा भारी ऊर्जा की जरूरत होगी जिससे इसकी एप्लीकेशन ज्यादा सक्रिय और विस्तृत होगी। विश्लेषकों का सुझाव है कि 6 जी मौजूदा नैटवर्क से 1000 गुना ज्यादा डेटा स्पीड देगा। चूंकि भविष्य में न्यूकला लिंक आधारित उपकरण नाम में लिए जायेंगे और उन्हें 6 जी से बेहतर नैटवर्क मिल जाएगा।

'यह मनी लॉण्डरिंग का अजीबोगरीब मामला है, जहां कुछ भी पैसे का लेन-देन नहीं हुआ'

सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नैशनल हैरल्ड के मामले में मनी लॉण्डरिंग के आरोप में ई.डी. ने हाजिर होने के आदेश दिये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जून। कांग्रेस ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को भेजे गये आज के नोटिस को "एक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी लड़ाई बताया है। उन्हें यह नोटिस कांग्रेस-निर्वाचित नैशनल हैरल्ड अखबार के संचालक से जुड़े मनी लॉण्डरिंग केस के सिलसिले में भेजा गया है। कांग्रेस ने कहा है कि गांधी-परिवार के पास छुपाने के लिये कुछ भी नहीं है।

एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुये, कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनी लॉण्डरिंग या पैसे के किसी प्रकार के लेन-देन का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि केन्द्र राजनैतिक प्रतिशोध से काम ले रहा है तथा विधानसभा चुनावों पर नजर जमाते हुये, विश्वेश्वर प्रिंशाना साधने के लिये केन्द्रीय जाँच एजेंसियों का

■ सोनिया गांधी व राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "हमारे पास छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। हम पूछताछ का सामना करेंगे, तथा डरेंगे नहीं।"

■ 2013 में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया था कि, गांधी परिवार ने नैशनल हैरल्ड अखबार का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिये साजिश रची थी, तथा यंग इण्डिया कंपनी गठित कर अखबार को खरीदा था।

■ अभिषेक सिंघवी ने प्रत्युत्तर में कहा कि, 2015 में केस खत्म करने का निर्णय लिया था, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, पर, फिर सरकार ई.डी. के तत्कालीन अफसरों को हटाकर नये अफसर लायी तथा पुनः मुकदमा खुलवाकर चलवाया।

■ सिंघवी ने यह भी कहा कि, इस झूठे मुकदमे के मार्फत सरकार देश के समक्ष प्रस्तुत अन्य गंभीरी मुद्दे, जैसे बेरोजगारी, मंहगाई आदि से ध्यान बंटवाना चाहती है।

दुरुपयोग कर रहा है।

सिंघवी ने कहा, "यह मनी लॉण्डरिंग का ऐसा अजीबो गरीब केस है, जिसमें पैसा तो है ही नहीं। यह केस ताश के पत्तों से ज्यादा खोखला है। हम इसका सामना करेंगे। हम डरते नहीं हैं। यह सब प्रतियोगिता, ओहोपेन, डर एवं सस्ती तथा दुर्गन्धयुक्त राजनीति है।

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हुई आई.टी.जी.ऑन उस व्यक्तिगत क्रिमिनल शिकायत की छानबीन के फलस्वरूप हुई थी, जो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में एक ट्रायल कोर्ट में पेश की थी। उक्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि अखबार के अधिग्रहण में गांधी परिवार ने धोखाधड़ी

तथा पैसे का दुरुपयोग/गबन किया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार ने "यंग इंडियन" के जरिये अखबार के पूर्ववर्ती प्रकाशकों को रिश्वत देकर, नैशनल हैरल्ड के स्वामित्व वाली सम्पत्तियाँ अधिग्रहित कर ली थीं। ज्ञातव्य है कि यंग इंडियन में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पैसिफिक की दौड़!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 जून। अमेरिका ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान प्रशांत क्षेत्र में कई एयरपोर्ट्स और अस्पताल बनवाए थे, जो आज भी उपयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन इनका इन्फ्रास्ट्रक्चर अब

■ हालांकि, अमेरिका ने इस क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध में भारी "इन्फ्रास्ट्रक्चर" (हवाई अड्डे, अस्पताल आदि) बनवाये थे, पर बिना रख रखाव के इन सबकी हालत काफी खराब है, चीन इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर, अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, प्रभाव की दृष्टि से।

करीब-करीब जर्जर हो चुका है। चीन इस संबंध में अब एक महत्वकांक्षी योजना लेकर आया है। यह बात द न्यूयॉर्क टाइम्स के सिडनी ब्यूरो चीफ दामियन केव ने एक विश्लेषण में कही है। प्रशांत क्षेत्र के द्वीप समूहों में चीन की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमित शाह का सौरव गांगुली के घर खाना खाने जाना!

सौरव गांगुली ने ट्वीट करके कहा कि, वे जिन्दगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, और इस नयी भूमिका में जनता का ज्यादा भला कर सकेंगे

-अंजन रांय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जून। भारतीय क्रिकेट के सर्वाधिक सफल भारतीय कप्तानों में से एक रहे सौरव गांगुली ने ट्वीट किया है कि वे अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपने इस ताजा ट्वीट में, उन्होंने संकेत दिया है कि उनके नये जीवन एवं क्रियाकलापों से जनता को काफी मदद मिलनी चाहिये।

गांगुली के इस ट्वीट के बाद, ऐसी अफवाहें, अटकलें एवं अनुमान प्रबल हो गये हैं कि वे पश्चिम बंगाल में भाजपा एवं आकर्षण के रूप में पश्चिम बंगाल का एकदम ताजा कारण यह है कि मात्र दो सप्ताह पहले ही, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आये थे तथा उन्होंने गांगुली परिवार के साथ उनके पैतृक घर में डिनर लिया था।

इस भोज में, गांगुली के परिजनों के अतिरिक्त, अमित शाह के साथ ही स्वन्दास गुप्ता तथा भाजपा के आई.

■ भोज में सौरव गांगुली के परिवार के अलावा सांसद स्वप्न दास गुप्ता व भाजपा के आई.टी. हैड अमित मालवीय भी शामिल हुए।

■ भाजपा गत चुनाव में ही सौरव गांगुली को पार्टी से जोड़ना चाहती थी, परन्तु चुनाव से ठीक पहले सौरव को "हार्ट प्रॉब्लम" हो गयी थी, और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

टी. प्रमुख अमित मालवीय भी मौजूद थे। इसलिये ऐसा इसका अर्थ निकाला जा रहा है कि गांगुली राज्य में सत्ता-प्राप्ति के लिये एक दीर्घकालीन प्रलोभन एवं आकर्षण के रूप में पश्चिम बंगाल में भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।

लेकिन यह अनुमान एवं अटकल आखिर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? पिछले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने एक संभावित उम्मीदवार के रूप में गांगुली को पार्टी में लाने की कोशिश की थी लेकिन बताया जाता है कि चुनाव से ठीक पहले,

गांगुली को हृदय संबंधी कोई गड़बड़ी हो गई थी तथा वे अस्पताल में भर्ती हो गये थे। हालांकि, गांगुली के जीवन के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली सरकार व्यर्थ में दुविधा में फंसी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 1 जून। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली की परिसीमा के भीतर कार्यरत गैरकानूनी पैथ लैबों पर कार्यवाही करने

■ दिल्ली में पैथ लैबों को "रैयुलेट" करने के लिए कोई कानून नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि, या तो दिल्ली सरकार "दिल्ली हेल्थ बिल, 2019" कानून पारित करें, या केन्द्र सरकार द्वारा पारित "विलिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2012" को लागू करें। दिल्ली सरकार को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं अदालत ने।

के संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के अपने आदेश में कहा कि यह हैरानी की बात है कि दिल्ली में गैरकानूनी रूप से कार्यरत लैबों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)